रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 81] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 5, 1973/फाल्गुन 14, 1894
No. 81] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 5, 1973/PHALGUNA 14, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ORDER

New Delhi, the 5th March 1973

S.O. 128(E)/18FA/18AA/IDRA/73.—Whereas Messrs. Krishna Silicate and Glass Works Limited, Calcutta, owning an industrial undertaking, is being wound up under the supervision of the Calcutta High Court and the business of the company is not being continued;

And whereas the Central Government, after obtaining permission from that High Court under sub-section (2) of section 15A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) (hereinafter in this Order referred to as the said Act), had caused an investigation to be made by a body of persons into the possibility of running or re-starting the said industrial undertaking;

And whereas the Central Government, being of the opinion that there are possibilities of running or re-starting the said industrial undertaking, made an application under sub-section (1) of section 18FA of the said Act to the Calcutta High Court praying for permission to appoint a body of persons to take over the management of the said industrial undertaking and that the said High Court has, by its order dated the 21st February, 1973 granted the said permission;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18FA, read with section 18AA, of the said Act, the Central Government hereby authorises the body of persons (in this Order referred to as the Board of Management) comprising of—

Chairman

1. Shri A. Bose, Special Officer and *Ex-Officio* Secretary, Department of Closed and Sick Industries, Government of West Bengal, Calcutta.

Members

2. Shri R. Bhattacharyya, I.A.S. (Retired), Calcutta.

3. Shri P. R. Ganguli, West Bengal Excise Service (Executive), Government of West Bengal, Calcutta.

to take over the management of the whole of the said undertaking, namely, Messrs Krishna Silicate and Glass Works Limited, Calcutta, subject to the following terms and conditions, namely—

(i) the Board of Management shall comply with all directions issued from time to time by the Central Government;

(ii) the Board of Management shall hold office for five years from the date of publication of this Order in the Official Gazette; and

(iii) the Central Government may terminate the appointment of any of the persons comprising the Board of Management earlier if it considers it necessary to do so.

This Order shall have effect for a period of five years commencing from the date of its publication in the Official Gazette.

[No. F. 25/19/72-CUC.]
D. K. SAXENA, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 5 मार्च, 1973

का० आ० 127 (अ) /18च क/18कक/आई०डी० आर० ए०/73—यत: मैसर्स कृष्णा सिलिकेट एण्ड ग्लास वर्क्स लिमिटेड, कलकत्ता का, जो एक औद्योगिक उपक्रम का स्वामी है, कलकत्ता उच्च न्यायालय के पर्यवेक्षण के अधीन समापन हो गया है और इस कंपनी का कारोबार नहीं चल रहा है;

और यत: केन्द्रीय सरकार ने उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) (जिसे इस में इसके पश्चात् इस आदेश में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 15क की उपधारा (2) के अधीन उस उच्च न्यायालय से अनुज्ञा अभिप्राप्त करने के पश्चात् उक्त औद्योगिक उपक्रम को चालू रखने या फिर से चलाने की संभावना का अन्वेषण-व्यक्तियों के एक निकाय द्वारा कराया था ;

और यत: केन्द्रीय सरकार ने, यह राय होने पर कि उक्त औद्योगिक उपक्रम को चालू रखने या फिर से चलाने की संभावनाएं हैं, उक्त अधिनियम की धारा 18च क की उपधारा (1) के अधीन, उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध ग्रहण करने के लिए व्यक्तियों का एक निकाय नियुक्त करने की अनुज्ञा के लिए प्रार्थना करते हुए उच्च न्यायालय को आवेदन किया था और उक्त उच्च न्यायालय ने, अपने आदेश, तारीख 21-2-1973 द्वारा, उक्त अनुज्ञा दे दी है;

अत:, अब, उक्त अधिनियम की धारा 18कक के साथ पठित धारा 18च क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, निम्नलिखित व्यक्तियो —

अध्यक्ष

1. श्री ए० बोस विशेष अधिकारी और पदेन सचिव
बन्द और अक्षम उद्योग विभाग, पश्चिमी बंगाल सरकार, कलकत्ता।

सदस्य

2. श्री आर० भट्टा चार्य, आई. ए. एस. (सेवानिवृत्त)
कलकत्ता ।

3. श्री पी० आर० गांगुली, पश्चिमी बंगाल आबकारी सेवा
(कार्य पालिका) पश्चिमी बंगाल सरकार , कलकत्ता ।

के निकाय (जिसे इस आदेश में प्रबंध-बोर्ड कहा गया है) को उक्त उपक्रम, अर्थात् मैसर्स कृष्णा सिलिकेट एण्ड ग्लास वर्क्स लिमिटेड, का समस्त प्रबन्ध, निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, ग्रहण करने के लिए एतद्द्वारा प्राधिकृत करती है, अर्थात् :—

(i) प्रबंध -बोर्ड, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सभी निदेशों का अनुपालन करेगा ;

(ii) प्रबंध -बोर्ड, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष के लिए पद धारण करेगा; और

(iii) केन्द्रीय सरकार, यदि ऐसा करना आवश्यक समझे तो, प्रबंध-बोर्ड के व्यक्तियों में से किसी किसी की नियुक्ति पहले भी समाप्त कर सकेगी ।

2. यह आदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा ।

[सं० फा० 25/19/72—सी यू सी]

डी० के० सक्सेना, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973